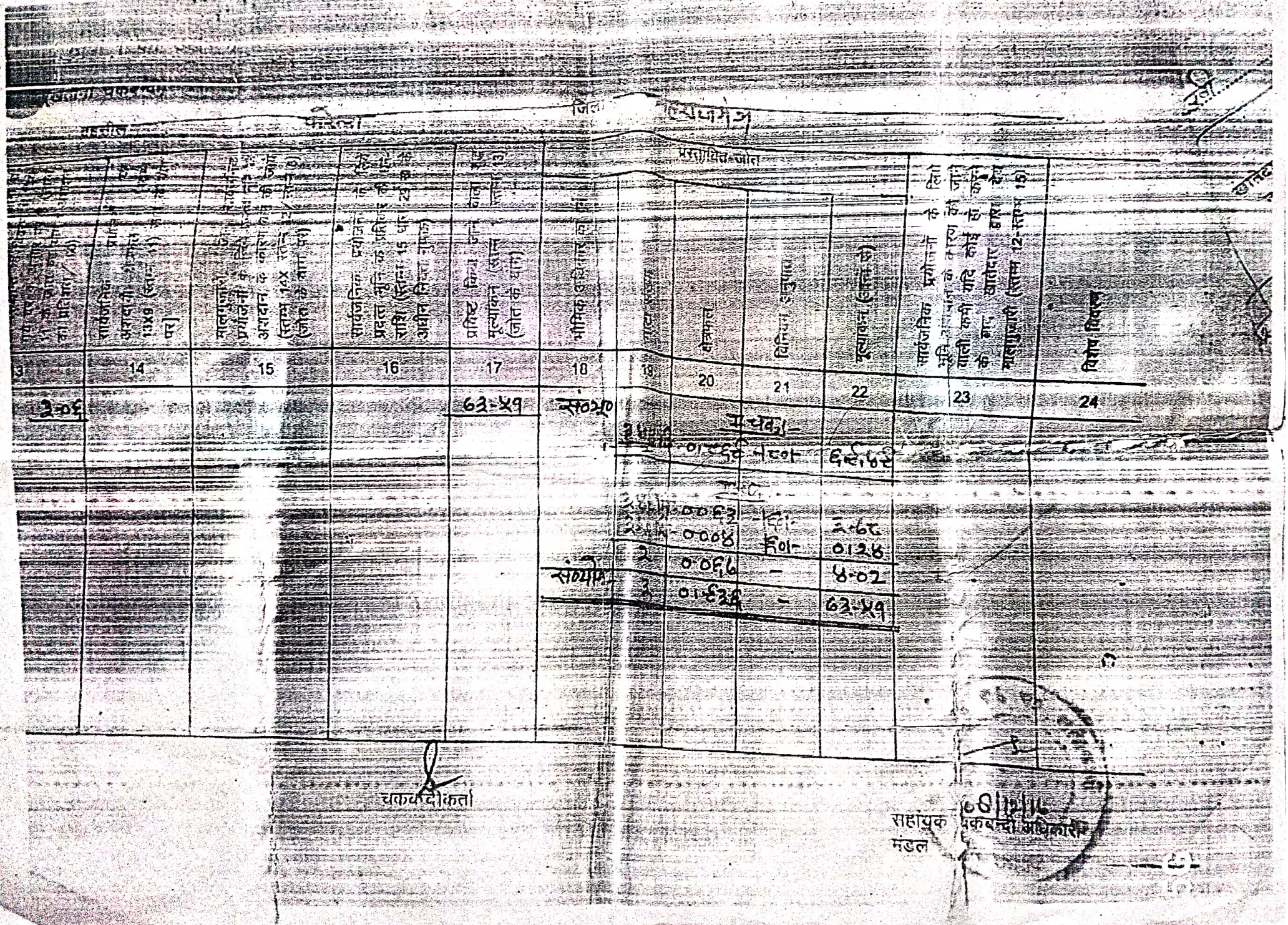

तहसील [illegible] परगना [illegible] जिला सिद्धार्थनगर

							प्रस्तावित जोत					
[illegible] के आधार पर [illegible] का प्रतिशत / (ब)	सार्वजनिक प्रयोजनों [illegible] अंशदान [illegible] 13X9 (स्तम्भ 11) [illegible] पर]	मालगुजारी [illegible] प्रयोजनों के लिये [illegible] अंशदान के कारण [illegible] की जाय (स्तम्भ 14X स्तम्भ 12/ स्तम्भ 8) (जोत के योग पर)	सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये प्रदत्त भूमि के प्रतिकर की [illegible] राशि (स्तम्भ 15 धारा 29 [illegible] के अधीन निर्धारित गुणक)	प्रतिष्ट किया जाने वाला [illegible] मूल्यांकन (स्तम्भ [illegible] स्तम्भ 13) (जोत के योग)	भौमिक अधिकार का [illegible]	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विनिमय अनुपात	मूल्यांकन (आना में)	सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये भूमि अंशदान के कारण की जाने वाली कमी यदि कोई हो करने के बाद खातेदार द्वारा देय मालगुजारी (स्तम्भ 12-स्तम्भ 15)	विशेष विवरण
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3-06				63-49	सं०भू०		म चक 1				
						[illegible]	0.1526	1.000	56.65		
							म. C.				
						[illegible]	0.063	-दि-	2.68		
						[illegible]	0.004	दि0-	0.128		
						2	0.0916	-	4.02		
					संयोग	3	0.1626	-	63.49		

चकबन्दीकर्ता

08/12/16
सहायक चकबन्दी अधिकारी
मंडल